दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम

CIN: U31200UP2003SGC027460 | **E-mail: tds.gstdvvnl@gmail.com** | **GSTIN: 09AACCD0695D1ZS**

पत्रांक– /द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/टीडीएस–जीएसटी **दिनांक /09/2018**

कार्यालय ज्ञाप

अवगत कराना है कि केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम–2017 की धारा–51 (TDS-GST) के प्रावधान, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन संख्या 50/2018–Central Tax दिनांक 13.09.2018 द्वारा दिनांक **01.10.2018** से लागू होंगे, अतः दिनांक 01.10.2018 से किये जाने वाले भुगतानों पर प्राविधान अनुसार 2% TDS (GST) काटकर निर्धारित तिथि तक सरकारी कोष में किया जाना है।

उक्त के सम्बन्ध में, सम्बन्धित इकाई के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा TDS (GST) की कटौती कर, धनराशि सरकारी कोष में जमा करायी जायेगी तथा सम्बन्धित मासिक रिटर्न केन्द्रीयकृत रूप से मुख्यालय स्तर पर दाखिल किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है, अतः एतद्द्वारा निम्नवत् प्रक्रिया आदेशित की जाती है:

1. Registration, DDO, Authorised Signatory and Principal Place of Business:-

केन्द्रीय जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के अन्तर्गत TDS (GST) हेतु दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के PAN: **AACCD0695D** के आधार पर निगम मुख्यालय स्तर पर ही केन्द्रीयकृत रूप से एक पंजीकरण लिये जाने के लिए एक ही GST REG-07 (Registration Form) दाखिल करने का निर्णय लिया गया है, परन्तु GST REG-07 में केवल एक ही आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम स्वीकार हो रहा है। अतः इस सम्बन्ध में निगम अधीनस्थ समस्त इकाईयों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों की ओर से **लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा** को नामित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है, जिससे पंजीकरण सम्बन्धी औपचारिक कार्यवाही पूर्ण की जा सके तथा GST REG-07 दाखिल करने के लिए भी **Authorised Signatory** के तौर पर **लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)** को ही अधिकृत किया जाता है।

उक्त के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन हेतु **ऊर्जा भवन, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा–282007** को ही **"Principal Place of Business"** के रूप में पंजीकृत किया जायेगा।

निगम अधिनस्थ इकाईयों से प्राप्त सूचनाओं (मासिक विवरणी) के आधार पर मुख्यालय स्तर पर GSTR-7 (मासिक रिटर्न) दाखिल करने के लिए भी **लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)** को **Authorised Signatory** के तौर पर अधिकृत किया जाता है।

TDS (GST) की नियमानुसार सही धनराशि पर सही मद में निर्धारित दर से कटौती करना, सही मासिक विवरणी मुख्यालय को ससमय प्रेषित करना, मुख्यालय से चालान प्राप्त कर उसका मिलान विवरणी से करना, तथा धनराशि (चालान) सरकारी कोष में ससमय जमा कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित इकाई के आहरण एंव वितरण अधिकारी का ही होगा। अन्यथा की स्थिति में निगम पर किसी भी प्रकार की ब्याज, दण्ड, दण्डात्मक कार्यवाही के लिए सम्बन्धित इकाई के आहरण एवं वितरण अधिकारी ही उत्तरदायी होंगे।

2. TDS (GST) के दायरे में आने वाले संव्यवहार :–

प्राविधान अनुसार ऐसे प्रकरण जहाँ विक्रेता/सेवा प्रदाताओं इत्यादि से किये गये अनुबन्ध राशि (जी0एस0टी0 छोड़कर) रू0 **2.50 लाख से अधिक** है तो दिनांक 01.10.2018 से उनके **प्रत्येक भुगतान** पर TDS (GST) काटना अनिवार्य है। चूँकि TDS (GST) दिनांक 01.10.2018 से होने वाले भुगतानों पर काटा जाना है, अतः इसका Tax Invoice की दिनांक से कोई सम्बन्ध नहीं है।

TDS (GST) सम्बन्धी उपरोक्त प्राविधान जी0एस0टी0 में पंजीकृत विक्रेता/सेवा प्रदाताओं के द्वारा दी जाने वाली कर–योग्य माल/सेवा (Taxable Goods or Services or Both) के सम्बन्ध में लागू है। अपंजीकृत विक्रेता/सेवा प्रदाताओं, अथवा ऐसे विक्रेता/सेवा प्रदाताओं जिन पर Reverse Charge Machanism लागू होता है, उनके बीजको के भुगतान के समय TDS (GST) नहीं काटा जायेगा। **ज्ञात हो कि उक्त सीमा प्रति अनुबन्ध है, न कि प्रतिवर्ष।** ***उदाहरण के तौर पर,***

(a) *किसी एक कार्यदायी संस्था से एक वित्तीय वर्ष में रू0 01 लाख के 4 अनुबन्ध किये गये हैं, तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि भले ही रू0 2.50 लाख की सीमा को पार करती है परन्तु प्रति अनुबन्ध की राशि रू0 2.50 लाख या उससे कम है, अतः इस स्थिति में TDS (GST) नहीं काटा जायेगा। अर्थात् जो अनुबन्ध रू0 2.50 लाख तक ही हैं, तो ऐसी स्थिति में* ***TDS (GST)*** *के प्रावधान लागू नहीं है।*

(b) *इसके विपरीत यदि किसी एक कार्यदायी संस्था के साथ रू0 05 लाख का एक अनुबन्ध है और उससे 01–01 लाख के 05 बीजक प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भुगतान/बीजक की राशि भले ही रू0 2.50 लाख या उससे कम है परन्तु अनुबन्ध की राशि रू0 2.50 लाख से अधिक है, अतः इस स्थिति में TDS (GST) काटा जायेगा।*

3. TDS (GST) किस धनराशि पर किस दर से काटा जायेगा :–

उपरोक्तानुसार, भुगतान की जाने वाली धनराशि में से CGST, UP-SGST, IGST व Cess की धनराशि को छोड़ते हुये, 2% TDS (GST) [(1% CGST व 1% UP-SGST) मद में अथवा (2% IGST) मद में, जो लागू हों)] काटना अनिवार्य है तथा लेखाशीर्ष **46.94401 (SGST-TDS), 46.94402 (CGST-TDS)** एवं **46.94403 (IGST-TDS)** लेखांकन हेतु आवंटित किये जाते हैं।

4. काटे गये TDS (GST) का मासिक विवरण एवं चालान :–

प्रत्येक माह TDS (GST) के सम्बन्ध में मासिक विवरणी निर्धारित प्रारूप में सही भरकर माह समाप्त होने के **03 दिनों के अन्दर** जी0एस0टी0 प्रकोष्ठ को इस कार्य हेतु बनाई गयी नई E-mail ID **(TDS.GSTDVVNL@GMAIL.COM)** पर प्रेषित कर एवं जी0एस0टी0 प्रकोष्ठ से चालान प्राप्त कर उसे बैंक में **05 तारीख तक** जमा करना सुनिश्चित करें। **अन्यथा 18% की दर से ब्याज देय होगा। GST की मासिक विवरणी अगले माह की 03 तारीख के पश्चात् जी0एस0टी0 प्रकोष्ठ को प्राप्त होने की स्थिति में, सम्बन्धित**

इकाई को चालान प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं होगा, जिसके लिये सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
प्रारूप एवं समय सारणी निम्नवत् रहेगी:–

प्रारूप								
Sl. No.	Unit Name	GSTIN of deductee (Firm)	Trade Name	Contract Value	Amount Paid to deductee on which tax is deducted	Amount of Tax Deducted at Source (TDS)		
						Integrated Tax (IGST)	Central Tax (CGST)	State Tax (UPGST)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Without GST		*2% of Column 6*	*1% of Column 6*	*1% of Column 6*

<u>**नोट :**</u> इकाईयों द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि सम्बन्धित फर्म का **GSTIN, https://www.gst.gov.in/** पर सही पाये जाने पर ही उपरोक्त मासिक विवरणी में भरकर भेजें। पूर्व में प्रेषित अन्य मासिक विवरणी में यह पाया गया है कि फर्म का GSTIN बिना सत्यापित करे ही प्रेषित किये जा रहे हैं। इसमें मुख्यतः <u>I (आई) & 1 (One)</u>, <u>S (एस) & 5 (Five)</u>, <u>O (ओ) & 0 (Zero)</u>, <u>A (ए) & 4 (Four)</u>, <u>B (बी) & 8 (Eight)</u>, टाइप करने में त्रुटियाँ पायी गयी हैं। **अतः सही GSTIN न होने पर सम्बन्धित प्रविष्टि को मासिक रिटर्न** (GSTR-7) **में लिया जाना सम्भव नहीं होगा जिसके लिये सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।**

समय–सारणी		
क्र0सं0	विवरण	माह समाप्ति के बाद
1	**इकाईयों द्वारा** TDS (GST) की मासिक विवरणी भेजने की अन्तिम तिथि (GSTR-7 दाखिल करने हेतु)	**01 से 03 तारीख तक (पूर्ण रूप से सही एवं प्रारूप में भरकर)**
2	**इकाईयों द्वारा** बैंक में चालान जमा कराने की अन्तिम तिथि ***(जी0एस0टी0 प्रकोष्ठ से किसी भी कारणोवश चालान प्राप्त न होने की दशा में, जी0एस0टी0 प्रकोष्ठ से सम्पर्क कर, चालान प्राप्त करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित इकाई के आहरण एवं वितरण अधिकारी है।)***	**05 तारीख तक**
3	**जी0एस0टी0 प्रकोष्ठ द्वारा** विभिन्न प्रकार की मास्टर फाइल तैयार करना, जमा कराये गये चालानों का पोर्टल से मिलान करना, विभिन्न तैयार फाइलों को GST Utility में भरना, उसमें आयी त्रुटियों को सुधारना एवं GST Utility से जनरेट हुयी फाइल को जी0एस0टी0 पोर्टल पर अपलोड करना	**04 से 07 तारीख तक**
4	**जी0एस0टी0 प्रकोष्ठ द्वारा** जी0एस0टी0 पोर्टल पर अपलोड की गयी फाइल में आयी त्रुटियों को डाउनलोड करना, सुधारना एवं पुनः पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया एंव अन्य इत्यादि कार्यों को करते हुये GSTR-7 दाखिल करना।	**08 तारीख तक** **[अंतिम दो दिनों (09 और 10 तारीख) में जी0एस0टी0 पोर्टल की तकनीकी खामियों से बचने के लिए रिटर्न 08 तारीख तक दाखिल कर दिया जायेगा।]**

5. <u>विविध बिन्दु :–</u>

1- उक्त के सम्बन्ध में स्पष्टिकरण हेतु **सीए0 अंकित अग्रवाल लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान) 9412719645** से सम्पर्क करें।

2- TDS (GST) सम्बन्धी ई–मेल, इस कार्य हेतु बनाई गयी नई E-mail ID **<u>TDS.GSTDVVNL@GMAIL.COM</u>** पर ही प्रेषित किया जायें, न कि GSTDVVNL@GMAIL.COM पर।

3- आयकर अधिनियम के अन्तर्गत काटे जाने वाले TDS सम्बन्धी प्रावधान भी यथावत लागू रहेंगे।

(एस0 के0 वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 7020 **/द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/टीडीएस–जीएसटी/दिनांक** 27 **/09/2018**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
2. उप महाप्रबन्धक (का0 लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त/तकनीकी/वाणिज्य/का0प्र0 एवं प्रशा0), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0।
6. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, द0वि0वि0नि0लि0।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता/आहरण एवं वितरण अधिकारी, द0वि0वि0नि0लि0।
8. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।

(एस0 के0 वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक